फा.स .T-17014/3/2021-Training-FSSAI
**भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण**
(खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 के तहत स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण)
**एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002**
प्रशिक्षण प्रभाग

---

दिनांक: 21 जुलाई, 2022

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय: खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक प्रमाणपत्र की वैधता को हटाने बाबत ।**

खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन (FoSTaC) कार्यक्रम मई 2017 में एफएसएसएआई द्वारा शुरू किए गए खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों के लिए एक बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम है। FoSTaC कार्यक्रम का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षकों का एक पूल बनाना है, जो ,खाद्य सुरक्षा और मानकों (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 4, में आवश्यकताओं के अनुसार अच्छी स्वच्छता और विनिर्माण प्रथाओं में प्रशिक्षित हैं। फोस्टैक प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफलता पूर्वक करने के पश्चात खाद्य संचालकों को खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र को जारी किया जाता है। अगर फूड हैंडलर के व्यवसाय के प्रकार में कोई बदलाव नहीं होता है, तो खाद्य संचालक को जारी किए गए खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक प्रमाणपत्र की वैधता 2 साल थी।

2. एफएसएसएआई को खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक प्रमाणपत्र की वैधता को हटाने के संबंध में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। मामले की समीक्षा की गई और वर्तमान प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए, उसी तरह के व्यवसाय में काम करना जारी रखने वाले खाद्य संचालकों के लिए खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक प्रमाणपत्र की वैधता खंड को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है।

3. तदनुसार, यह निर्णय लिया गया है कि खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक प्रमाणपत्र सदा के लिए प्रमाणित होगा। हालांकि, अगर खाद्य संचालक व्यवसाय के प्रकार बदलता है, तो उसे नए सिरे से FoSTaC प्रशिक्षण से गुजरना होगा और संबंधित व्यवसाय के प्रकार के लिए एक नया खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा।

4. खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य व्यवसायों का लाइसेंस और पंजीकरण) विनियम, 2011 की अनुसूची 4 में कोई परिवर्तन होने पर खाद्य सुरक्षा पर्यवेक्षक प्रमाण पत्र वाले खाद्य संचालकों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण से गुजरना होगा।

यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया गया है।

Virendra Singh 21-07-2022

(वीरेन्द्र सिंह शेखावत)
प्रबंधक (प्रशिक्षण)

प्रति,

1. समस्त खाद्य व्यवसाय संचालक - अनुपालन के लिए
2. खाद्य सुरक्षा आयुक्त (सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र)।
3. समस्त प्रशिक्षण भागीदार।
4. मुख्य तकनीकी अधिकारी - वेबसाइट पर अपलोड करने और FoSTaC पोर्टल में आवश्यक परिवर्तन करने के लिए।

प्रतिलिपि:

1. कार्यकारी निदेशक (मानव संसाधन) के निजी सचिव एफएसएसएआई, मुख्यालय, नई दिल्ली